


**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**  
**अधिसूचना**

सं०सं०-01/स्था० (राज०)-32/2014 ..... **4994** ..... /न०वि०एवंआ०वि०। जिला पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक-615 दिनांक-11.09.18 द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्री देवेन्द्र कुमार पासवान, सहायक परियोजना पदाधिकारी, डी०आर०डी०ए०, अररिया को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अररिया का प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-  
(चैतन्य प्रसाद)  
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (राज०)-32/2014 /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक- **19/9/18**  
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, अररिया/श्री देवेन्द्र कुमार पासवान, सहायक परियोजना पदाधिकारी, डी०आर०डी०ए०, अररिया/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अररिया/संबंधित कौषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/श्री अमितेश कुमार/आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
**19/9/2018**  
सरकार के प्रधान सचिव।